

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1377
28.07.2025 को उत्तर के लिए

औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण निवारण

1377. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों, विशेषकर विशाखापत्तनम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का व्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त उपायों का स्थानीय समुदायों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है; और
- (ग) इन औद्योगिक समूहों में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने की योजनाओं का व्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): सरकार ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर सहित देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का शुभारंभ किया है। एनसीएपी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2019-2020 के स्तर से पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में 40% तक की कमी लाना या वर्ष 2025-26 तक राष्ट्रीय मानकों ($60 \mu\text{g}/\text{m}^3$) को प्राप्त करना है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दस लाख से अधिक आबादी वाले/ मानकों को पूरा न करने वाले 130 शहरों (लगातार पांच वर्षों से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पार करने वाले शहर) को अभिज्ञात किया है, जिनमें ये 13 शहर शामिल हैं - गुंटूर, कुरनूल, नेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, अनंतपुर, चित्तूर, एलुरु, कडप्पा, ओंगोल, राजमुंद्री, श्रीकाकुलम और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम शहर। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकों को पूरा न करने वाले/दस लाख से अधिक आबादी वाले इन सभी 130 शहरों में शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और उनका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है।

सीपीसीबी ने सभी एसपीसीबी/पीसीसी को निदेश जारी किए हैं कि वे सीईपीआई स्कोर का मूल्यांकन करने के लिए संशोधित सीईपीआई संकल्पना, 2016 के आधार पर प्रत्येक वर्ष मानसून-पूर्व और मानसून-पश्च ऋतुओं के दौरान सभी गंभीर प्रदूषित क्षेत्रों (एसपीए) और अति गंभीर प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए) में सीईपीआई निगरानी का कार्य करें।

इसके अलावा, सीपीसीबी ने रंग कोड आधारित श्रेणियों के अंतर्गत उनकी प्रदूषणकारी क्षमता (वर्गीकरण-2025) के आधार पर विभिन्न सेक्टरों/गतिविधियों का वर्गीकरण किया है। उक्त वर्गीकरण-2025 में 100% स्वच्छ ईंधन/नवीकरणीय ऊर्जा आदि का उपयोग करने जैसी पर्यावरण के अनुकूल कार्यप्रणालियों को अपनाने वाले किसी भी सेक्टर की एककों के लिए प्रोत्साहन तंत्र और नियंत्रण अनुपालन करना शामिल किया गया है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां (एसपीसीबी/पीसीसी) जल अधिनियम, 1974 के अलावा वायु अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार पूर्व सहमति (स्थापना हेतु सहमति/संचालन हेतु सहमति) प्रदान करने के लिए उद्योगों पर उत्सर्जन मानक लागू करते हैं।

वर्ष 2020 के दौरान, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीपीसीबी) ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। इसके अलावा, एपीपीसीबी ने आंध्र प्रदेश और विशेष रूप से विशाखापत्तनम औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों पर पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और फ्लोरीन के संबंध में कड़े मानक लागू किए हैं।

फार्मा सिटी, परवाड़ा और एपीआईआईसी, अचुथपुरम क्षेत्रों में स्थित सभी उद्योगों ने बॉयलर क्षमता को नजरअंदाज करते हुए बैग फ़िल्टर लगवाया है और 10 टीपीएच से अधिक क्षमता वाले बॉयलर ने ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जो रियल-टाइम के आंकड़ों की पुष्टि के लिए एपीपीसीबी से जुड़ी है। यदि किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित उद्योग को सुधार के लिए चेतावनी भेजी जाती है।

आंध्र प्रदेश ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा पहल को अपनाया है:

- i. विशाखापत्तनम और अनकापल्ली जिलों में 250 प्रमुख उद्योग स्थित हैं। सरकारी नीति के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) ने अचुथपुरम और परवाड़ा में स्थित उद्योगों को पीएनजी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई है। आइओसीएल दुव्वाडा, अचुथपुरम और परवाड़ा में 10 उद्योगों को पीएनजी की आपूर्ति कर रहा है।
- ii. मेसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, श्रीहरिपुरम, मलकापुरम (पीओ), जिला विशाखापत्तनम सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्रों की अपशिष्ट ऊर्जा पुनर्प्राप्ति से 21 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है।
- iii. मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विशाख रिफाइनरी), मलकापुरम, विशाखापत्तनम 0.5% से कम सल्फर के संघटक वाले ईंधन तेल और 100पीपीएम से कम सल्फर के संघटक वाले ईंधन गैस का उपयोग भट्टियों के लिए ईंधन के रूप में कर रहा है। रिफाइनरी मानदंडों के

भीतर SOx उत्सर्जन को बनाए रखने के लिए लो सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस), नेपथा और उपचारित ईंधन गैस (एफजी) जैसे कम सल्फर के संघटक वाले ईंधन का उपयोग करती हैं। अम्लीय गैसों के लिए सल्फर की पुनर्पाप्ति हेतु सल्फर रिकवरी यूनिट (एसआरयू) भी स्थापित की गई हैं और इस प्रकार SOx उत्सर्जन को कम करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) उत्सर्जन को खत्म करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) बॉयलर लगाए गए हैं। हॉट वेल ऑफ गैसों के शोधन के लिए क्रूड डिस्टीलेशन इकाइयों (सीडीयू) में एमीन शोधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फ्लेयर गैस रिकवरी यूनिट (एफजीआरयूएस) फ्लेयर हानि को नियंत्रित करने के लिए स्थापित की गई हैं। वीओसी उत्सर्जन को कम करने के लिए एकीकृत अपशिष्ट शोधन संयंत्र (आईटीईपी) में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) निष्कासन प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। एचपीसीएल ने 370 टीपीए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना (डेमो संयंत्र) स्थापित की है और संचालित कर रहा है।

- iv. आरआईएनएल कोक औवन गैस की अपशिष्ट ऊर्जा पुनर्पाप्ति से 15-20 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, ब्लास्ट फर्नेस गैस की अपशिष्ट दाब पुनर्पाप्ति से 7-10 मेगावाट बिजली, और ब्लास्ट फर्नेस की अपशिष्ट गैस पुनर्पाप्ति से 100 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहा है। उत्पन्न की गई एलडी गैस का उपयोग रोलिंग मिलों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
- v. मेसर्स कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज एल. प्लॉट नंबर 32. जे.एन. फार्मा सिटी, परवाड़ा, अनकापल्ली जिले ने 8 टीपीएच और 1 टीपीएच के अपशिष्ट ऊर्जा पुनर्पाप्ति बॉयलर स्थापित किए हैं।
- vi. मेसर्स विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी, विशाखापत्तनम ने 10 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन स्थापित किया है और संचालित कर रहा है।
- vii. मेसर्स सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (चरण I और II), एनटीपीसी लिमिटेड, परवाड़ा, अनकापल्ली जिले ने संयंत्र क्षेत्र के अंदर अशोधित पानी के जलाशय पर 25 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है और संचालित कर रहा है।
- viii. जिंदल शहरी अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा विशाखापत्तनम में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति संयंत्र की स्थापना और संचालन किया गया, जिसमें 27 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया, जिसमें 1372 टीपीडी विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन स्रोत के रूप में ठोस अपशिष्ट का उपयोग किया गया।
